(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I, खण्ड- । में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 36 (आर.ई.-2012)/2009-2014
नई दिल्लीः दिनांक 12 दिसम्बर, 2012

विषयः- प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I (आर ई 2012)2009-14 के पैरा 3.11.8 मे संशोधन ।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I (आर ई 2012)/ 2009-14 के पैरा 3.11.8(ग) को संशोधित करते है :

2. संशोधित पैरा निम्नानुसार पढा जाएगाः

(ग) यदि ऐसे लाभों को प्राप्त करने हेतु किसी नए उत्पाद अथवा नए बाजार को शामिल करने का निर्णय **वर्ष के दौरान** लिया जाता है, तबः-

(i) ऐसे उत्पादों का निर्यात करने के लिए/ऐसे बाजारों को निर्यात करने के लिए मुक्त पोतलदान बिलों पर इस आशय की घोषणा करने के लिए निर्णय/ अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से एक महीने की छूट अवधि की अनुमति दी जाएगी ।

(ii) एक महीने की छूट अवधि के बाद, सभी निर्यातों (ऐसे उत्पादों के अथवा ऐसे बाजारों को) में मुक्त पोतलदान बिलों पर इस आशय की घोषणा शामिल करनी होगी ।

(iii) उत्पादों/बाजारों के निर्णय/अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले किए गए निर्यातों के लिए, ऐसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ऐसे निर्यात पहले ही किए जा चुके हैं ।"

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I के पैरा 3.11.8 (ग) में आने वाले 'तत्पश्चात/बाद' शब्द को 'वर्ष के दौरान' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/180/160/एएम12/पीसी-3)